राजस्थान सरकार
(रोजगार सेवा निदेशालय)
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथमार्ग, जयपुर
ई–मेलआईडी–dir.jpr.emp@rajasthan.gov.in दूरभाष–0141–2373675

क्रमांक प.23(15)जेईओ / नियुक्ति / आरपीएससी / 2021 / दिनांक / –

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा– 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान अधीनस्थ सेवायें (नियुक्तियां एव अन्य सेवा शर्ते) नियम, 2001 के नियम 7(1) के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा में दो वर्ष की कालावधी के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से वेतनमान पे–मेट्रिक्स लेवल–10 (33800–106700) में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 23700 / – (अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश / परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक / वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते है:–

S.NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	DOB	CATEGORY	REMARK
1	1629	825306	PIYUSH GARG	15-09-1995	SC RG	---

उक्त उल्लेखित अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1.उक्त नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4296 / 2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4131 / 2020 ज्योति शर्मा बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11806 / 2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7044 / 2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8380 / 2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13582 / 2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य,एव राजस्थान राज्य एव अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से सम्बन्धित दायर समस्त रिट याचिकाओ / विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्तवाद करणों के अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

2.उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।

3.इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)वित्त / नियम / 06 दिनांक 13.03. 2006,प.14(1)वित्त / नियम / 2013–पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10. 2017 (Shedule IV Rules no.16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जावेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी.संख्या 25565 / 2015 राजस्थानर राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

4.उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वही है, जो इन्होने परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है, और इन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

5.उक्त नियुक्तियां सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

6.उक्त अभ्यर्थी को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि मे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्व विवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

7.यदि राज्य सरकार की राय से इन का कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नही पाया जावे, अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ रोजगार अधिकारी होने की क्षमता नही है, तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

8.सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्यागपत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप मे संदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यथी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूपमें इस आशय का एक बन्धकपत्र निष्पादित करेगें।

9.राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

10.अभ्यर्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी भी राजकीय कार्य दिवस को प्रातः 9.30 बजे अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजो सहित रोजगार सेवा निदेशालय, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेगें।

11.अभ्यर्थी हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 30.11.2021,03.12.2021 एवं 21.12.2021 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

12.प्रशिक्षण सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देश हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की वेबसाईट (www.hcmripa.gov.in) पर उपलब्ध है।

13.बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐस अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नही होगा।

14.नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध मे अभ्यर्थी को ''**Self declaration**'' अथवा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अमल में लाई जावेगी। (प्रपत्र संलग्न)

15.नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हे अपना विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित सन्तान/सन्तानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही है।परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक ईकाई ही माना जावेगा। (प्रपत्र संलग्न)

16.उक्त अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस के पश्चात् भी रिपोर्ट नही करता है, और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

17.उक्त अभ्यथी कार्य ग्रहण स्थान पर संलग्न प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचानपत्र के साथ उक्त उल्लेखित स्थान पर उपस्थित होवें।

पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान Temporary unfit होने के कारण उक्त अभ्यथी हेतु पद सुरक्षित रखा गया था जिस पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। श्री पीयूष गर्ग की वरिष्ठता पूर्व में जारी नियुक्ति जारी आदेश दिनांक 24.12.2021 में क0स0 11 पर अंकित प्रियका मीणा,मेरिट कमाक 1507 के नीचे एव क0स0 12 पर अंकित सुशीला कटाला, मेरिट कमाक 1699 के उपर रहेगी।

कार्मिक (क–4/2) विभागके पत्र क्रमांकप9(1)कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांक 27.06.2022 में उल्लेखानुसार उक्त उल्लेखित अभ्यर्थी को यह सेवा/विभाग आवंटन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

ह0

(प्रवीण माथुर)
निदेशक

क्रमांक प.23(15)जेईओ / नियुक्ति / आरपीएससी / 2021 / 11797-822 दिनाक / 07-07-22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. सचिव,महामहिम राज्यपाल महोदय,राज0जयपुर।
2. प्रमुख सचिव / सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज0जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज.जयपुर।
4. वरिष्ठ उपसचिव,मुख्य सचिव महोदय,राज0जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कौशल नियोजन एव उद्यमिता विभाग, राज.जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज.अजमेर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्रमाथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राज.जयपुर।
8. संयुक्त शासनसचिव, कार्मिक (क–4 / 2) विभागको उनके पत्रकमांक प.9(1)कार्मिक / क–4 / 2 / 2021 दिनांक 27.06.22 के कम में।
9. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रशासनिक सुधार विभाग।
10. निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, राज.जयपुर।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन र्सवेलफेयर विभाग, राज.जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज., जयपुर को प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
13. निजी सहायक, निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, राज.जयपुर।
14. प्रोग्रामर, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
15. सम्बन्धित अधिकारी श्री पीयूष गर्ग गाव गुहडा,पो0 झिनझिनयाली, तह0 फतेहगढ जिला–जैसलमेर,राज0 पिनकोड–345027
16. निजी पत्रावली / रक्षितपत्रावली।

उपनिदेशक(प्रशासन)